रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 1974/ज्येष्ठ 7, 1896

No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1974/JYAISTHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 28th May 1974

S.O. 329(E)/PWA/Rlys./Sec. 5(3)/74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5, read with section 24 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Central Government hereby rescinds, with immediate effect the Order of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 282(E)/PWA/Rlys./Sec. 5(3)/74, dated the 4th May, 1974 (exempting the person responsible for payment of wages to person employed upon any railway otherwise than in a factory, from the operation of the said section 5).

[No. S. 31025/19/74/LRIII]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1974

का० आ० 329(अ)/पी० डब्लू० ए०/रेलवेज/धारा 5(3)/74.—मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 282(ई)/पी० डब्लू० ए०/रेलवेज/धारा 5 (3)/74, तारीख 4 मई, 1974 (जिसके द्वारा, किसी भी रेलवे में, किसी कारखाने को छोड़कर, नियोजित व्यक्तियों को मजदूरियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उक्त धारा 5 के प्रवर्तन से छूट दी गई थी) को तुरन्त प्रभाव से रद्द करती है ।

[सं० एस-31025/19/74-एल० आर०-3]

नि० प्र० दुबे, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974